विविध **बैंक प्रकरण संख्या 54/2020**(GCMS : 2020/00140) **एच.डी.एफ.सी. लि. रजिस्टर्ड ऑफिस एच.डी.एम.सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम), मुम्बई तथा शाखा कार्यालय टाइम्स स्कावायर्स, 10 सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेरक भार्गव बनाम 1. निरोज इन्सुलेशन प्रा.लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं जयश्री मिश्रा पता शॉल पंन 4 व 5, प्लॉट नं. 801, शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा 324009 2. सुभाषचन्द मिश्रा पुत्र बृजलाल मिश्रा निवासी म.स. 281, प्रताप नगर, दादाबाडी कोटा 324009 अन्य पता प्लॉट नं. 41–ई, वसुन्दरा हास्पीटल के सामने, सूरतगढ श्रीगंगानगर – 335804 3. श्रीमती जयश्री मिश्रा पत्नी सुभाषचन्द्र मिश्रा निवासी म.स. 281 प्रताप नगर, दादाबाड़ी,कोटा 324009**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री जलविन्द्र सिह भूंगा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी निरोज इन्सुलेशन प्रा.लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र एवं जयश्री मिश्रा, सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं जयश्री मिश्रा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में प्रार्थी सुभाषचन्द्र मिश्रा द्वारा बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 41 ई (50 गुणा 60 फीट), वार्ड नं. 13, विवेकानन्द नगर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 31.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एच.डी.एफसी. बैंक के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी निरोज इन्सुलेशन प्रा.लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र एवं जयश्री मिश्रा, सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं जयश्री मिश्रा के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में सुभाषचन्द्र मिश्रा द्वारा बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 41 ई (50 गुणा 60 फीट), वार्ड नं. 13, विवेकानन्द नगर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 31.07.2020 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर